



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 13, 1999/आश्विन 21, 1921

No. 625]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 13, 1999/ASVINA 21, 1921

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 1999

का. आ. 1030 (अ).—केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) की दिनांक 28 मई, 1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 394 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित का प्रतिस्थापन किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3
" 53.	तमिलनाडू राज्य में यथा अवस्थित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67 का समस्त खंड	तमिलनाडू राज्य सरकार "

[फा. सं. रा.रा.-14012/2/97-पी.एल.-खंड]

प्रफुल्ल कुमार, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 394(अ) दिनांक 28 मई, 1999 के तहत प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 1999

S.O. 1030(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Surface Transport (Roads Wing) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) with number S.O. 394(E), dated, the 28th May, 1999, namely :—

2. In the Schedule to the said notification, for the Sl. No. 53 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

1	2	3
"53.	The entire stretch of National Highway No. 67 as is situated within the State of Tamil Nadu	State Government of Tamil Nadu"

[F. No. NH-14012/2/97-PL. Part]

PRAFULLA KUMAR, Director General (Road Development) and Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 394(E) dated the 28th May, 1999.